

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
संख्या- 6770/77-4-24/168 अपील/24
लखनऊ: दिनांक- 26 नवम्बर, 2024

मै0 ईशान एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी प्रा0लि0 ... पुनरीक्षणकर्ता
बनाम

ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण ... विपक्षीगण

यह पुनरीक्षण याचिका मै0 ईशान एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी प्रा0लि0 द्वारा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आवंटित भूखण्ड संख्या A1/2, Sector Knowledge Park-1 एवं संस्थागत भूखण्ड संख्या 40, Knowledge Park-2 के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये मॉग-पत्र दिनांक 04.10.2024 के विरुद्ध दिनांक 07.10.2024 को उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपटित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 12 के अन्तर्गत दाखिल की गई है। प्रकरण में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 13.11.2024 के द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी है। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में दिनांक 19.11.2024 को सुनवाई बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राधिकरण की ओर से आभासी रूप में श्री एस0के0 सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एवं श्री एन0के0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी द्वारा तथा याची संस्था की ओर से श्री डी0के0 गर्ग द्वारा भौतिक रूप में प्रतिभाग किया गया है।

2. प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के विचाराधीन रहते हुए पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा रिट याचिका संख्या 36416/2024 योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.11.2024 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि पुनरीक्षण याचिका का निस्तारण 03 सप्ताह में किया जाए। मा0 न्यायालय के आदेश का सारवान भाग निम्नवत् है:-

Having regard to the same, we dispose of the instant petition by providing that the State Government should make all endeavor to decide the revision on the next date and if, it could not be decided on the next date, then preferably within three weeks thence.

3. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा अपनी याचिका में यह कहा गया है कि प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया मॉग-पत्र, शासनादेश संख्या 6472/77-4-2023/100 (अपील)/23 दिनांक 20.10.2023 एवं शासनादेश संख्या 7968/77-4-2023/100 (अपील)/23 दिनांक 29.12.2023 द्वारा पारित आदेशों के क्रम में जारी किया गया है। इस मॉग-पत्र को जारी करते हुए प्राधिकरण द्वारा शासनादेश में दिये गये निर्देशों का सम्यक् अनुपालन नहीं किया गया है, अतः मॉग-पत्र निरस्त होने योग्य है। पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसके पक्ष में भूखण्ड संख्या A1/2, क्षेत्रफल 3 एकड़ का आरक्षण वर्ष 2001 में हुआ था एवं तत्पश्चात् आवंटन-पत्र दिनांक 23.12.2002 को जारी किया गया था। तदोपरान्त प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2004 में मात्र एक एकड़ भूमि का लीज प्लान जारी किया जा सका था एवं अवशेष 2 एकड़ भूमि अन्य सेक्टर में आवंटित की गयी थी, जिस पर संस्था द्वारा सहमति नहीं दी गयी थी। तत्पश्चात् मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 33996/2009 एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास द्वारा पारित निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड संख्या 40, Sector Knowledge Park-2, क्षेत्रफल 12150 वर्ग मीटर का आवंटन-पत्र दिनांक 25.02.2022 के द्वारा किया गया था। चूँकि नवीन भूखण्ड का आवंटन, संस्था को पूर्व में दिये गये भूखण्ड के अवशेष भाग के सापेक्ष किया गया था, अतः प्राधिकरण द्वारा संस्था की अवशेष देयताओं का निर्धारण पत्र दिनांक 10.10.2022 के द्वारा किया गया था, जिसमें कुल देयता रू0 23,53,36,135.00 निर्धारित की गयी है।

4. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इस मॉग-पत्र के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर की गयी, जो शासनादेश संख्या 6472/77-4-2023/100 (अपील)/23 दिनांक 20.10.2023 के द्वारा निस्तारित की गयी है। निस्तारण आदेश में यह उल्लिखित है कि भूखण्ड संख्या 40, Knowledge Park-2 में 2 एकड़ भूमि का भुगतान दिनांक 23.12.2002 की दर पर किया जाएगा एवं अवशेष क्षेत्रफल की दर का निर्धारण आवंटन की तिथि अर्थात् दिनांक 25.02.2022 पर किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा इस शासनादेश के अनुपालन में देयता का निर्धारण करने के पूर्व आवंटित 3 एकड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि का भुगतान दण्ड ब्याज 19 प्रतिशत की दर से किया गया है, जो कि प्राधिकरण की नीति के अनुसार सही नहीं है। चूँकि वर्ष 2022 तक वैकल्पिक भूखण्ड का निर्धारण ही नहीं हो सका था एवं भिन्न कारणों से इस पर मा0 न्यायालय का स्थगनादेश था, अतः मा0 न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने की अवधि को शून्यकाल माना जाना चाहिए एवं इस अवशेष अवधि का ब्याज अधिरोपित नहीं करना चाहिए।

5. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मॉग-पत्र दिनांक 04.10.2024 में कुल जमा धनराशि को रू0 2,12,42,608.00 दर्शाया गया

है, जबकि संस्था द्वारा दिनांक 11.09.2024 तक कुल रू0 8,38,91,592.80 जमा कर दिये गये थे। इस प्रकार मॉग-पत्र दिनांक 04.10.2024 प्रथम दृष्टया ही गलत है।

6. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है प्राधिकरण द्वारा अवशेष देयता पर मेट्रो सेस 10 प्रतिशत लगाया गया है, जबकि यह भूखण्ड मेट्रो के एक किमी0 से अधिक दूरी पर होने के कारण इस पर मेट्रो सेस देय नहीं है। इसी प्रकार समान प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा अवशेष देयता का निर्धारण साधारण ब्याज दर पर किया गया है, जबकि प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा दण्ड ब्याज लिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह भी याचना की गयी है कि चूँकि आवंटन दिनांक 25.02.2022 के उपरान्त उसकी देयता का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सही तरीके से नहीं किया जा पा रहा है, अतः दिनांक 25.02.2022 से दिनांक 04.10.2022 तक की अवधि का कोई दण्ड ब्याज उस पर न लगाया जाए। पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह भी याचना की गयी है कि प्रश्नगत भूखण्ड की दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, का अन्तिम रूप से निर्धारण शासनादेश संख्या 6472/77-4-2023/100 (अपील)/23 दिनांक 20.10.2023 के द्वारा संभव हो पाया है, अतः इस आदेश के पारित होने के दिनांक को लागू लीज रेंट की दर से प्रश्नगत भूखण्ड की लीज रेंट का निर्धारण किया जाए।

7. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नियोजित नवीन भूखण्ड संख्या 40 सैक्टर नॉलेज पार्क-02 क्षेत्रफल 12150 वर्गमीटर, को समिति की बैठक दिनांक 01.02.2022 में प्रस्तावित किया गया जिसे तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनांक 23.02.2022 को अनुमोदित किया गया। उक्त अनुमोदन के अनुपालन में आवंटी संस्था मै० ईशान इन्स्टीट्यूट रिसर्च सोसाईटी को प्राधिकरण के पत्र संख्या Institutional/2022/allot-3161 Date 25.02.2022 के माध्यम से भूखण्ड संख्या 40, क्षेत्रफल 12000 वर्ग मीटर सेक्टर नालेज पार्क-02 का एलोकेशन पत्र जारी किया गया। पत्र दिनांक 08.03.2022 के माध्यम से आवंटन से पूर्व औपचारिकताएँ पूर्ण किये जाने हेतु सूचित किया गया।

8. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण के पत्र दिनांक 08.03.2022 के माध्यम से संस्था पर अधिरोपित की गई शर्तों में संस्था द्वारा 03 शर्तों का पालन नहीं किए जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या ग्रे. नौ./संस्थागत/2022/15, दिनांक 27.09.2022 के द्वारा संस्था को सूचित किया गया कि संस्था ने प्राधिकरण के पत्र दिनांक 08.03.2022 की 03 शर्तों का पालन नहीं किया गया हे जिस कारण प्राधिकरण द्वारा संस्था के पक्ष में तत्समय तक आवंटन पत्र/चेकलिस्ट निर्गत किए जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

साथ ही संस्था को यह भी सूचित किया गया कि संस्था द्वारा इन शर्तों का पालन करने के उपरान्त ही आवंटन पत्र/चेकलिस्ट निर्गत किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।

9. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आवंटी संस्था द्वारा मा० उच्च न्यायालय में नवीन भूखण्ड संख्या 40 क्षेत्रफल 12150.00 वर्गमीटर सेक्टर नॉलेज पार्क-02 की लीज डीड कराए जाने एवं नवीन भूखण्ड किसी अन्य को आवंटित नहीं किए जाने के प्रार्थना के साथ मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 24495 /2022 Ishan Education Research Society Vs Industrial Dev Commissioner, Govt. Of Uttar Pradesh And 3 Others योजित की गयी जिसमें उनकी प्रार्थना निम्न प्रकार थी:-

ii. Issue a writ, or direction in the nature of mandamus commanding the respondent no.4, to execute the lease deed of the Plot No.40 KP-2 Area 12150 sq.mts. as per allotment and allocation letters issued by GNIDA on 25.02.2022 and 08.03.2022

ii. Issue writ, order or direction in the nature of prohibition restraining the respondent no.3, not to bifurcate or allot to third party, plot no.40, KP-2 area 12150 sq.mts., already allotted and allocated to the petitioner as per lease plan dated 25.02.2022 and 08.03.2022 after permission by respondent no.4 on 23.02.2022

उपरोक्त रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.09.2022 का अंश निम्न प्रकार है:- "Despite our detailed order dated 14.09.2022, the respondents could not send any satisfactory instruction in the matter.

Learned counsel for the respondent nos. 3 & 4 submits that measurement of the plot of the petitioner is going on and as soon as it is completed the demand shall be quantified and shall be intimated to the petitioner for payment.

We fail to understand that if demand has not been quantified then how the respondent authority has issued the notice dated 25.02.2022 asking the petitioner to deposit amount within 60 days and thereafter issued the notice dated 08.03.2022 intimating the petitioner that amount be deposited within the specified time and formalities for execution of lease deed may be completed.

In view of the aforesaid, we direct the respondent no.4 to file a counter affidavit by means of his personal affidavit on or before the next date fixed. "

उपरोक्त प्रकरण में देयताओं की गणना का निर्धारण किए जाने हेतु गठित समिति की संस्तुति को तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आवंटी संस्था को प्राधिकरण के पत्र संख्या ग्रे.नौ/संस्थागत/2022/25, दिनांक 10.10.2023 के द्वारा निम्नानुसार सूचित किया गया:-

" मूल भूखण्ड संख्या 1ए/2 सेक्टर नॉलेज पार्क-01 के सापेक्ष अतिरिक्त जमा धनराशि को ब्याज सहित समायोजित करते हुए नवीन भूखण्ड संख्या 40 क्षेत्रफल 12150.00 वर्गमीटर सैक्टर नॉलेज पार्क-02 के सापेक्ष फुल प्रीमियम बनराशि रू0 23,53,36,135.00 एवं वार्षिक लीजरेण्ट प्रीमियम (12150 वर्गमीटर) का 2.5 प्रतिशत, देय होगा जो कि प्रत्येक 10 वर्ष पर डेढ गुना हो जायेगा, अथवा एक मुक्त लीज रेन्ट रू0 7,22,28,750.00 देय होगा

10. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मैसर्स ईशान एजुकेशनल रिसर्च सोसायटी द्वारा प्राधिकरण के मॉग पत्र दिनांक 10.10.2022 के विरुद्ध उ०प्र०अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41 (3) सपटित औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 12 के अन्तर्गत पुनरीक्षण याचिका योजित की गयी जिसके संबंध में दिनांक 18.09.2023 को सुनवाई के उपरान्त आदेश संख्या-6472/77-4-2023/100 (अपील)/23 लखनऊ, दिनांक 20.10.2023 द्वारा पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की गयी।

उ०प्र० शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-4, के आदेश संख्या-6472/77-4-2023/100 (अपील)/23 लखनऊ, दिनांक 20.10.2023, मै० ईशान एजुकेशनल रिसर्च सोसायटी, पुनरीक्षण कर्ता बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण विपक्षीयण का प्रभावी अंश निम्न प्रकार है:

- I. उक्त से यह स्पष्ट है कि आवंटी को 03 एकड़ तक भूखण्ड का आवंटन दिनांक 23.12.2002 की दरों पर किया जाना है, क्योंकि आवंटी को प्लाट संख्या-1ए/2 के सापेक्ष 03 एकड़ के पेमेन्ट प्लान के अनुसार भुगतान करने के निर्देश थे। यदि उपरोक्त आदेश के अनुसार आवंटी द्वारा भुगतान की कार्यवाही की गयी है, तो प्लाट संख्या-40 के.पी.-02 में जो 03 एकड़ भूखण्ड का आवंटन किया गया है, उसमें से 02 एकड़ का भुगतान 23.02.2022 की दरों पर होगा। यदि उपरोक्त दोनों भूखण्ड 1ए/2 एवं 40 के आवंटन दरों में फर्क है, तो उसका समायोजन किया जायेगा। प्लाट संख्या-40 के.पी०-02 में लगभग 01 एकड़ भूखण्ड

(यानि कि 02 एकड़ के अतिरिक्त) का आवंटन की तिथि यानि कि 25.02.2022 की दरों पर भुगतान लिया जायेगा।

- II. प्राधिकरण द्वारा निर्गत डिमाण्ड नोटिस दिनांक 10.10.2022 उपरोक्त आधार पर न होने की वजह से निरस्त किया जाता है। इस आदेश के जारी होने के 15 दिन के अन्दर प्राधिकरण कुल देयताओं से आवंटी को सूचित करेगा और आवंटी सम्पूर्ण अवशेष धनराशि 60 दिन के अन्दर प्राधिकरण में जमा करेगा।
- III. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पुनरीक्षणकर्ता की याचिका दिनांक 10.10.2022 तदनुसार निस्तारित की जाती है।

उपरोक्त पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण के वित्त विभाग द्वारा की गयी गणना के आधार पर आवंटी को भूखण्ड के सापेक्ष प्रीमियम एवं एक मुश्त लीज रेन्ट की मद में रू0 27,15,18,942.19 से सूचित करते हुए पत्र संख्या प्रे.नी./संस्थागत/2023/947, दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 जारी किया गया।

11. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उ०प्र० अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपटित औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 12 के अन्तर्गत योजित पुनरीक्षण याचिका के संबंध में दिनांक 18.09.2023 को सुनवाई के उपरान्त अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय के आदेश संख्या-6472/77-4-2023/100 (अपील)/23 लखनऊ, दिनांक 20 अक्टूबर 2023 एवं संशोधित आदेश संख्या 7968/77-4-23-100 (अपील)/23, दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के अनुपालन में प्राधिकरण के वित्त विभाग द्वारा की गयी गणना के आधार पर आवंटी को देयताओं के संबंध में मॉग पत्र दिनांक 04.10.2024 निर्गत किया गया है।

12. मेरे द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया गया। इस प्रकरण में संस्था को भूखण्ड संख्या A1/2, Sector Knowledge Park-1, क्षेत्रफल 3 एकड़ का आवंटन दिनांक 23.12.2002 को किया गया था एवं इसी आधार पर पेमेन्ट प्लान भी जारी कर दिया गया था, किन्तु मौके पर भूमि कम उपलब्ध होने के कारण लीज डीड मात्र 4258.30 वर्ग मीटर की ही संभव हो सकी थी। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गयी गणना शीट से यह स्पष्ट है कि मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल रू0 12,141.00 वर्ग मीटर था, जिसका कुल प्रीमियम रू0 1,03,19,850.00 था, जिसके पंजीकरण की धनराशि 10 प्रतिशत एवं आवंटन की धनराशि 20 प्रतिशत का भुगतान तत्समय कर दिया गया था एवं अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि का भुगतान दिनांक 20.08.2003 से दिनांक 26.01.2009 तक 13 अर्धवार्षिक किश्तों में 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर किया जाना अपेक्षित था। गणना शीट के अनुसार एक एकड़ से अधिक भूमि के वांछित मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। तत्पश्चात् प्रकरण विवादित रहा है

एवं मा0 उच्च न्यायालय तथा शासन के निर्देशों के क्रम में नवीन भूखण्ड का आवंटन दिनांक 25.02.2022 को संभव हो पाया है।

13. शासनादेश संख्या 6472/77-4-2023/100 (अपील)/23 दिनांक 20.10.2023 में यह निर्देश दिया गया है कि भूखण्ड संख्या 40, Sector Knowledge Park-2, में से 2 एकड़ का भुगतान दिनांक 23.12.2002 की दर पर ही होगा। इस देयता का निर्धारण करने में प्राधिकरण द्वारा किशतों की अवशेष धनराशि पर दण्ड ब्याज लगाया गया है। चूँकि मूल भूखण्ड के सापेक्ष अवशेष भूखण्ड का निर्धारण दिनांक 25.02.2022 को ही संभव हो पाया है, अतः ऐसी दशा में प्राधिकरण द्वारा मूल भूखण्ड के अवशेष भाग की अवशेष धनराशि पर दण्ड ब्याज नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अवशेष धनराशि के भुगतान की देयता संस्था पर तब तक नहीं बनती थी जब तक संस्था के पक्ष में अवशेष भूखण्ड का आवंटन न हो जाए। अतः, पुनरीक्षणकर्ता संस्था की देयता का निर्धारण विभिन्न अवधियों में प्रचलित ब्याज दरों के आधार पर किया जाना चाहिए।

14. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह कहा गया है कि उसका भूखण्ड मेट्रो से 3.7 किमी० दूर होने के कारण मेट्रो सेस नहीं लगाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण का यह कथन है कि आई०आर०टी०एस० की लाइन ईशान इंस्टीट्यूट के सामने से प्रस्तावित होने के आधार पर मेट्रो सेस अधिरोपित किया गया है। इस तथ्य का परीक्षण प्राधिकरण द्वारा पुनः कर लिया जाए एवं प्राधिकरण के मेट्रो सेस अधिरोपित किये जाने के नियमों के आधार पर मेट्रो सेस की गणना कर ली जाए। पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा जी०एस०टी० लगाये जाने की याचना की गयी है, इसके सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

15. जहाँ तक लीज रेंट की धनराशि का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 6472/77-4-2023/100 (अपील)/23 दिनांक 20.10.2023 के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि आदेश के जारी होने के 15 दिन के अन्दर प्राधिकरण कुल देयताओं से आवंटी को सूचित करेगा एवं आवंटी सम्पूर्ण अवशेष धनराशि 60 दिन के अन्दर प्राधिकरण में जमा करेगा। यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा इन निर्देशों का अनुपालन न करते हुए संस्था को मॉग-पत्र दिनांक 04.10.2024 को जारी किया गया है। चूँकि शासनादेश संख्या 6472/77-4-2023/100 (अपील)/23 दिनांक 20.10.2023 के अनुसार प्राधिकरण को 15 दिन के अन्दर स्पष्ट रूप से मॉग-पत्र जारी कर देना था, अतः यह उचित है कि तद्दिनांक को प्रचलित लीज रेंट की गणना वर्तमान प्रकरण में अधिरोपित की जानी चाहिए।

16. यह भी स्पष्ट है कि मॉग-पत्र दिनांक 04.10.2024 जारी करते समय प्राधिकरण द्वारा संस्था द्वारा जमा समस्त धनराशियों का संज्ञान नहीं लिया गया है। संस्था द्वारा अपनी याचिका में यह स्पष्ट किया गया है कि उसके द्वारा

दिनांक 02.09.2024 तक कुल रू0 8,38,91,592.80 जमा कर दिये गये थे, जो प्राधिकरण द्वारा अपने मॉग-पत्र में नहीं दर्शाये गये हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा जारी मॉग-पत्र त्रुटिपूर्ण है एवं शासनादेश संख्या 6472/77-4-2023/100 (अपील)/23 दिनांक 20.10.2023 में दिये गये निर्देशों के विपरीत है। तदनुसार प्राधिकरण द्वारा जारी मॉग-पत्र दिनांक 04.10.2024 निरस्त किया जाता है एवं प्राधिकरण को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तर 13-15 में वर्णित विवेचना के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता संस्था के देयकों की पुर्नगणना कर ली जाए एवं आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर संशोधित मॉग-पत्र जारी कर दिया जाए। तत्पश्चात्, आवंटी सम्पूर्ण अवशेष देयता 60 दिन के अन्दर प्राधिकरण में जमा करेगा।


तदनुसार एतद्वारा पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

संख्या:- 67700/77-4-24/168 अपील/24 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मै0 ईशान एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी प्रा0लि0, नई दिल्ली।
3. मो0 वली अब्बास, निदेशक, आई.टी. इन्वेस्ट यू0पी0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राजेश्वरी प्रसाद)
अनु सचिव